

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि पत्र ::

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-13691 दिनांक 16.02.2026 की संसूचित अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-2090 दिनांक 29.01.2026 द्वारा अधिसूचित बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के अंग्रेजी पाठ की कंडिका-1(1) में उल्लिखित **the Bihar "Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2026"** के स्थान पर **"The Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2026"** पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना में शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

ह०/-

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / मुक०-08-49 / 2025सा०प्र०... 3652 / पटना-15, दिनांक... 20.02.26...

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / मुक०-08-49 / 2025सा०प्र०... 3652 / पटना-15, दिनांक... 20.02.26...

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-13691 दिनांक 16.02.2026 के प्रसंग में / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sunil Kumar Tiwari
-20/02/26

सरकार के अवर सचिव।